**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *258**
**18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

## उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

***258. श्री महेश कश्यपः**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ख) बुनियादी ढांचा प्रौद्योगिकी या बाजार पहुंच जैसे मात्स्यिकी सेक्टर के ऐसे कौन-कौन से विशिष्ट क्षेत्र हैं जिन्हें उक्त योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है, और

(ग) उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए श्री महेश कश्यप, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *258 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) से (ग) : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" नामक प्रमुख योजना पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हारवेस्ट नुकसान में कमी, ट्रेसेबिलिटी आदि में कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करना है । इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में इनफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी और मारकेट पहुंच पर ध्यान देने तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर विगत 4 वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 980.38 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश के साथ कुल 1722.77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है । पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमएमएसवाई के तहत सहयाता प्रदान की गई प्रमुख परियोजनाओं और गतिविधियों में 6588.29 हेक्टेयर नए तालाबों का निर्माण, मीठे पानी के नए फिनफिश हैचरियों के 231 यूनिट्स, इंटीग्रेटेड फिश फारमिंग के लिए 4913.11 हेक्टेयर**,** रेसवे के 1236 यूनिट्स**,** रीसरक्यूलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम (आरएएस ) के 148 यूनिट्स, सजावटी मत्स्य पालन के 644 यूनिट्स, बायोफ्लोक के 470 यूनिट्स, फीड मिलों के 140 यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज के 34 यूनिट्स, ब्रूड बैंकों के 6 यूनिट्स, असम में नदी के लिए एक फिश लैंडिंग सेंटर का निर्माण और 2 जलाशयों का एकीकृत (इंटीग्रेटेड) विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में मात्स्यिकी संसाधनों के समग्र विकास के लिए 4 इंटीग्रेटेड एक्का पार्क और बाजार संपर्क को मजबूत करने के लिए 2 अत्याधुनिक होलसेल फिश मारकेट को मंजूरी दी गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में देशी और स्थानिक मत्स्य प्रजातियां पाई जाती हैं, अत: यह क्षेत्र विभिन्न सजावटी मत्स्य प्रजातियों के लिए एक हब (केंद्र) है । पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन विभाग ने इस क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए 644 सजावटी मत्स्य इकाइयों को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, मछुआरों और मत्स्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी बारगेनिंग पावर बढ़ाने के लिए मत्स्यपालन विभाग ने 122.40 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 501 फिश फारमर्स प्रोड्यूसर्स ओरगेनाईज़ेशन्स स्थापित करने की मंजूरी दी है।

स्थानीय समुदायों के लिए आय और आजीविका के अवसर पैदा करते हुए एक्वाटिक इकोसिस्ट्म के स्थायी प्रबंधन में सहायता के लिए पीएमएमएसवाई के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में 70 मनोरंजक (रेक्रियेशनल) मत्स्य इकाइयों को मंजूरी दी गई है ।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के वार्षिक आवंटन में पूर्वोत्तर राज्यों को बजटीय आवंटन का न्यूनतम 10% निर्धारित किया है । सुदूरवर्ती और कठिन भूभाग को देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत उप-घटकों/गतिविधियों की इकाई लागत के अलावा 20% अतिरिक्त लागत (मार्कअप) की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य राज्यों को 60% केंद्रीय अंश प्रदान किया जाता है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% तक केंद्रीय अंश की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर के सृजन और सुदृढ़ीकरण के लिए, फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ) के तहत, विभिन्न मात्स्यिकी संबंधी गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के निजी लाभार्थियों को 10.81 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के मत्स्य किसानों और मछुआरों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3823 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मंजूर किए हैं ।

पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों (इंटरवेनशन्स) के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 3.78 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 70% 6.41 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

*****